तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/25	वकील फरीकैन सुना। प्रकरण वकील उपखण्ड अधिकारी करौली के समक्ष लिखित में प्रस्तुत की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला हाजरात प्रकरण अधिकारी के मामला कोर्ट की खातेदारी व काश्त की घोषित बताये हुए कैथामवाड़ा के अन्तर्गत विवादास्पद के पाबंद किये जाने बाबत पेश किया है। पाबंद समय भूमि कैथामवाड़ा की खातेदारी के दर्ज है। इस प्रकार मामला को कोर्ट सम्पूर्ण दाखिल व अधिकार क्षेत्र प्रकट नहीं होता है। पाबंद किये जाने के कैथामवाड़ा को सम्पूर्ण दाखिल व अधिकार क्षेत्र घोषित प्रकट होता है। मामला कैथामवाड़ा खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का इच्छुक नहीं है अतः प्रकरण मामला विरुद्ध कैथामवाड़ा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। [illegible] वंश के नाम दिनांक मूल [illegible] रहे। आदेश उच्चारित।	

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:26:44 IST
Reason: SelfAttested